सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23/2016 2016/00 88
रामभरोसी / सोमवती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अटल सेवा केन्द्र तसीमो)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 23/2016

1– रामभरोसी 2–किरोरी 3–डल्ला पुत्रगण छोटे 4–शकुन्तला बेवा रज्जो 5–दीपक पुत्र रज्जो जातिगण धोबी निवासीगण तसीमो तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

––प्रार्थीगण

बनाम

1–सोमवती उर्फ सोमती पुत्री छोटे 2–सरवती पत्नी रामभरोसी 3–मुन्नालाल 4–सुरेश 5–दिनेश 6–दुर्गसिह पुत्रगण रामभरोसी 7–इन्द्रवती बेवा रामगोपाल 8–काजल 9–हरिओम 10–बंन्टी 11–सूरज पुत्रगण रामगोपाल 12–राधा 13–आशा पुत्रीयांन रामगोपाल 14–अंगूरी बेवा रामप्रकाश 15–सिद्दार 16–बलवीर पुत्रगण रामप्रकाश 17–सुमित 18–मुनेन्द्र पुत्र 19–रनिया पुत्री नाबा0 पुत्रगण रामप्रकाश सरपरस्ती माता अंगूरी 20–फूलवती 21–मछला 22–ममता पुत्रीगण रामप्रकाश समस्ता जातिगण जाटव निवासीगण तसीमो तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
23–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थिति– श्री सज्जन बावू तिवारी एडवोकेट – प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 15.6.2018

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 2753 रकवा 3 वीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 3081/2753 स्थित ग्राम तसीमों पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष को दिनांक 23.2.1976 को नियमन हुई थी । उसके बाद गैरखातेदार दर्ज किया गया। पूर्व पुरूष का निधन हो जाने के उपरान्त प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामा0 खोला गया और काबिज होकर काश्त कर रहे है । सम्वत् 2037 से 2057 तक पूर्व पुरूष व प्रार्थीगण के नाम के इन्द्राज रहे है । लेकिन सम्वत् 2058 से 2061 के राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की बिना जानकारी के उनकी बैक पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 के पुर्व पुरूष के नाम इन्द्राज कर दिये जो निरस्त योग्य है । पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर वास्तविकता की जानकारी हुई है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सैपऊ से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार सैपऊ द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुंत की गई है कि आवंटी के वारिसानों के नाम सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी में यथावत् चलते रहे है जबकि रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 तैयार करते समय कम्प्यूटर प्रिन्ट में खसरा नम्बर 2753 मि.23 रकवा 3 वीघा रामभरोसी, रामप्रकाश वगैरा पिसरान छोटे कौम जाटव वाके ग्राम तसीमों के खाते में शामिल कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 2753 मिन 23 वादीगण की एलोटमेन्ट गैरखातेदारी भूमि थी । रामभरोसी, रामप्रकाश वगैरा पिसरान छोटे कौम जाटव वाके ग्राम तसीमों के नाम से उक्त खसरा नम्बों में कोई आवंटन भूमि नहीं की गई है ।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि आवंटी के वारिसानों के नाम सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी में यथावत् चलते रहे है जबकि रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 तैयार करते समय कम्प्यूटर प्रिन्ट में खसरा नम्बर 2753 मि.23 रकवा 3 वीघा रामभरोसी, रामप्रकाश वगैरा पिसरान छोटे कौम जाटव वाके ग्राम तसीमों के खाते में शामिल कर दिया गया है, जबकि खसरा नम्बर 2753 मिन 23 वादीगण की एलोटमेन्ट गैरखातेदारी भूमि थी । उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दुरुस्ती योग्य है ।

अत : आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 3081/2753 रकवा 3 वीघा वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ से वर्तमान गैर खातेदारान के नाम विलोपित कर आवंटी छोटे पुत्रश्री कलुआ जाति धोवी निवासी तसीमों के वारिसान के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि आवंटी छोटे के वारिसान की विधिवत् जांच निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे। तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.**6.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ